FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई | मुकाम अराई (अजमेर)

- रामधन पुत्र रामदेव जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य । –प्रार्थी

बनाम

- मांगू पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक /2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ ....

वकील प्रार्थी :– रामदेव गुर्जर | वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
	12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज [illegible] ....[illegible]..... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24 ....को पेश हो।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........... दिनांक 8/11/24 .... को पेश हो।	

2/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते अवलोकन नकल की हेतु दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

29/8/25 पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित।
P.O. महोदय ... /दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली ... आदेशानुसार......
दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की नकल की प्रार्थना पत्र दी। Po naite ... पत्रावली दिनांक 19.9.25 को पेश हो।

19/9/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद तामील की अनु०। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश हेतु दिनांक 26.9.25 को पेश हो।

26/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली दिनांक ?/10/25 को पेश हो।

5/10/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से तैयार कर घोषित कर पत्रावली मिला गया। पत्रावली फैसल शुदा रजिस्टर नम्बर ... दर्ज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2024

1. रामधन पुत्र रामदेव जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

2. कैलाश पुत्र रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम आकोडिया हाल निवासी सुन्दर नगर मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगू पुत्र छीतर
2. काना पुत्र रामा
3. नाथू पुत्र रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र
4. हजारी पुत्र रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

5. कालू पुत्र रामलाल
6. गणेश पुत्र मोती
7. गुलाबी पत्नि रामलाल
8. चौथू पुत्र रामलाल
9. प्रभू पुत्र मोती
10. पांचू पुत्र सुवा
11. रामा पुत्र नन्दा
12. सांवरलाल पुत्र रामलाल

सर्व जाति माली सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर

13. मुन्ना पुत्र चांद खां
14. सलाम पुत्र चांद खां
15. सहनाज पत्नि फिरोज खान

सर्व जाति पिनारा (मुसलमान) सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

16. कंचन पुत्री हरदेव
17. कमला पत्नि हरदेव
18. कमला देवी पत्नि रामधन
19. गुमान पुत्र हरदेव
20. महावीर पुत्र नोरत
21. श्रवणी पत्नि बदी
22. सुरमा पुत्री हरदेव

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर

23. अशोक पुत्र प्रभूलाल
24. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
25. कैलाश चन्द पुत्र तेजू
26. गीता पुत्री तेजू
27. चंता पुत्री तेजू
29. धनराज पुत्र तेजू
28. छीतर पुत्र छौगा
30. प्रधान पुत्र रामेश्वर
31. बदरी पुत्र रामकिशन
32. मधु पुत्री प्रभूलाल
33. रामधन पुत्र बालूराम
34. रामरतन पुत्र बालूराम

35. शम्भू पुत्री तेजू

WP

36. संतोष पत्नि प्रभूलाल
37. सुवा पुत्र छौगा
38. सॉवरा पुत्र तेजू सर्व जाति माली सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
39. कमला पुत्री उगमा
40. घमला पुत्री उगमा
41. भैरू पुत्र उगमा
42. मथुरा पुत्री उगमा
43. रतनी पत्नि उगमा
44. सीताराम पुत्र उगमा
45. सोराज पुत्र उगमा

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

46. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

47. तीजा देवी पत्नि स्व० घीसा
48. बदनी पत्नि नारायण
49. बदाम पत्नि सूवा
50. महावीर पुत्र सुवा
51. रामकरण पुत्र नारायण

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

औपचारिक अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी की भूमि ग्राम आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 110 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.9546 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1877 / 112 रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात काबिज काश्त, उपयोग–उपभोग करता आ रहा है एवं प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया तहसील अंराई के खसरा नम्बर 536 रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि है उपरोक्त आराजीयात की चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

(अ) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 0.3479 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि :–

उत्तर :– केरिया गांव की सीमा

दक्षिण :– खसरा नम्बर 1877 / 112 (प्रार्थी संख्या 1 की भूमि)

पूर्व –खसरा नम्बर 1874 / 109 (अप्रार्थी संख्या 13 से 15 की भूमि) खसरा नम्बर 1876 / 109

पश्चिम –खसरा नम्बर 111 (प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि)

(ब) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.9546 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि:–

उत्तर :– केरिया गांव की सीमा

दक्षिण –खसरा नम्बर 113 (अप्रार्थी संख्या 16 से 22 की भूमि) 112 (प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि)

पूर्व :– खसरा नम्बर 110, 1877 / 112 (प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि)

पश्चिम केरिया गांव की सीमा –

(स) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 0. 0405 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि

उत्तरः– खसरा नम्बर 1827 / 17 गै०मु०पाल (सरकारी भूमि)

Wp

दक्षिण :– खसरा नम्बर 19 (अप्रार्थी संख्या 23 से 38 की भूमि)
पूर्व :– ग्राम केरिया की सीमा
पश्चिम :–
खसरा नम्बर 19 (अप्रार्थी संख्या 23 से 38 की भूमि)
(द) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1877/112 रकबा 0.4045 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि
उत्तर :– खसरा नम्बर 110 (प्रार्थी संख्या 1 की भूमि)
दक्षिण :–
खसरा नम्बर 112 (प्रार्थी संख्या 1 की भूमि)
पूर्व :– खसरा नम्बर 1874/109 (अप्रार्थी संख्या 13 से 15 की भूमि)
पश्चिम :– खसरा नम्बर 111 (प्रार्थी संख्या 1 की भूमि)
(य) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 0.6472 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि
उत्तर:– खसरा नम्बर 1877/112, 111 (प्रार्थी संख्या 1 की भूमि)
दक्षिण :–खसरा नम्बर 1878/113 अप्रार्थी संख्या 39 से 45 की भूमि
पूर्व :– खसरा नम्बर 1874/109 (अप्रार्थी संख्या 13 से 15 की भूमि)
पश्चिम :– खसरा नम्बर 113 (अप्रार्थी संख्या 16 से 22 की भूमि)
(र) प्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 536 रकबा 0.0485 हैक्टेयर के अडौस–पडौस निम्न प्रकार से है कि
उत्तर :– खसरा नम्बर 537 (अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि)
दक्षिण :– खसरा नम्बर 531 (अप्रार्थी संख्या 5 से 12 की भूमि)
पूर्व –खसरा नम्बर 535 (अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की भूमि), खसरा नम्बर 531 (अप्रार्थी संख्या 5 से 12 की भूमि)
पश्चिम :– खसरा नम्बर 531 (अप्रार्थी संख्या 5 से 12 की भूमि)

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रार्थीगण की एकल व सहखातेदारी आराजी ग्राम आकोडिया पटवार क्षेत्र आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 110, 111, 112, 17, 1877/112, 536 भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 45 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 110, 111, 112, 17, 1877/112, 536 की भूमि बाबत् मौका पर्चा दिनांक 11.06.2024 को तैयार किया गया है ।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 11.06.2024 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की एकल व सहखातेदारी

आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी एकल व सहखातेदारी भूमि बाबत् सही नहीं करने से एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 46 भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45. प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है, एवं जमाबन्दी अनुसार दर्ज काश्तकारों को पक्षकार कायम किया गया है. अप्रार्थी संख्या 47 से 51 को उपरोक्त प्रकरण में होने वाले वाद व्यय करने में असमर्थता जाहीर की इस कारण औपचारीक अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है।

प्रकरण दिनांक 5.7.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 19.9.2025 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर को प्रतिवादी 1 से 51 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 5.12.2025 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 110 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.9546 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1877/112 रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि , खसरा नम्बर 536 रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)